रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1443] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 12, 2018/चैत्र 22, 1940
No. 1443] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 12, 2018/CHAITRA 22, 1940

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2018

## (आयकर)

**का.आ. 1589(अ).**—जबकि, आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा कज़ाक्स्तान गणराज्य की सरकार के बीच 9 दिसंबर, 1996 को नई दिल्ली, भारत में हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल के साथ अभिसमय के संशोधनकारी प्रोटोकॉल पर नई दिल्ली, भारत में 6 जनवरी, 2017 को हस्ताक्षर किए गए थे, जैसाकि इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंध में दिया गया है और जो इसके बाद कथित संशोधनकारी प्रोटोकॉल के रूप में संदर्भित है;

और जबकि, कथित संशोधनकारी प्रोटोकॉल के प्रवृत्त होने की तारीख 12 मार्च 2018 है, जो कि कथित संशोधनकारी प्रोटोकॉल के अनुच्छेद XV के पैराग्राफ 1 के अनुसार, कथित संशोधनकारी प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए राजनयिक चैनलों से प्राप्त अपेक्षित आंतरिक प्रक्रियाएं पूरी करने संबंधी लिखित अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है;

और जबकि, उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के अनुच्छेद XV के पैराग्राफ 2 के खंड (क) में व्यवस्था है कि उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के उपबंध, भारत में, उस वर्ष जिसमें वह उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल प्रवृत्त हुआ है, के अगले अनुवर्ती वर्ष की पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय या धारित पूंजी के संबंध में लागू होंगे;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ संलग्न कथित संशोधनकारी प्रोटोकॉल के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

**अनुबंध**

**दिनांक 09 दिसंबर, 1996 को दिल्ली में हस्ताक्षरित प्रोतोकोल सहित**

**आय पर तथा पूंजी पर**

**करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार**

**तथा**

**वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए**

**भारत गणराज्य की सरकार**

**तथा**

**कज़ाक्स्तान गणराज्य की सरकार**

**के बीच अभिसमय का संशोधनकारी प्रोतोकोल**

भारत गणराज्य की सरकार तथा कज़ाक्स्तान गणराज्य की सरकार,

दिनांक 09 दिसंबर, 1996 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित प्रोतोकोल सहित आय पर तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा कज़ाक्स्तान गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय (इसके पश्चात् इसे अभिसमय कहा जायेगा) में संशोधन करने के लिए इच्छुक भारत गणराज्य की सरकार तथा कज़ाक्स्तान गणराज्य की सरकार निम्नानुसार

इस प्रकार सहमत हुए हैं:

**अनुच्छेद I**

अभिसमय के अनुच्छेद 2 का पैराग्राफ 3 (सम्मिलित कर) का उप पैरा (क) निम्नलिखित उप पैरा द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:

"(क) कज़ाक्स्तान गणराज्य में:

(i) कार्पोरेट आयकर;

(ii) वैयक्तिक आयकर;

(iii) वैध व्यक्तियों तथा वैयक्तिकों की संपत्ति पर कर;

(इसके बाद इसे "कज़ाक्स्तानी कर" कहा जाएगा);"

**अनुच्छेद II**

1. अभिसमय के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 (सामान्य परिभाषा) के उप पैरा (क) के खण्ड (i) को निम्नलिखित खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:

"(i) "कज़ाक्स्तान" का अर्थ कज़ाक्स्तान गणराज्य से है और जब भौगोलिक परिदृश्य में प्रयोग किया जाये तो शब्द "कज़ाक्स्तान" में कज़ाक्स्तान गणराज्य के प्रादेशिक राज्य तथा क्षेत्र शामिल होते हैं जहां कज़ाक्स्तान अपने विधान तथा अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार अपने सार्वभौमिक अधिकारों तथा क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है;"

2. अभिसमय के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 2 के अन्त में निम्नलिखित वाक्य को जोड़ा जायेगा:

"उस संविदाकारी राज्य के लागू कर कानूनों के अन्तर्गत कोई अर्थ उस संविदाकारी राज्य के दूसरे कानूनों के अन्तर्गत शब्द को दिये गये अर्थ के ऊपर मौजूद रहे।"

**अनुच्छेद III**

1. अभिसमय का अनुच्छेद-4 (निवासी) का पैराग्राफ-1 निम्नलिखित पैराग्राफ द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:

"1. अभिसमय के प्रयोजनार्थ, शब्द "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" का अर्थ किसी व्यक्ति से है जो उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत उसमें अपने निवास, आवास, सम्मिलित होने के स्थान, प्रबंधन के स्थान अथवा इसी प्रकृति के किसी अन्य मानदण्ड के कारण कर लगाये जाने के लिए उत्तरदायी है और इसमें वह संविदाकारी राज्य तथा कोई राजनैतिक उप प्रभाग अथवा उसका स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल होता है। तथापि, इस शब्द में वह कोई व्यक्ति शामिल नहीं होता है जो उस संविदाकारी राज्य में केवल स्रोत से आय तथा उसमें स्थित पूंजी से उस संविदाकारी राज्य में कर देने के लिए उत्तरदायी है।"

2. अभिसमय के अनुच्छेद 4 के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में यह माना जाता है कि वाक्यांश "सम्मिलित होने का स्थान" में "पंजीकरण का स्थान" शामिल होता है।

**अनुच्छेद IV**

1. अभिसमय के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 3(स्थायी स्थापना) के उप पैरा (ख) में "12 माह से अधिक" संख्या तथा शब्दों को "6 माह से अधिक" संख्या तथा शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

2. अभिसमय के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 3 के उप पैरा (ख) के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ (ग) जोड़ा जायेगा:

"(ग) सेवाएं प्रस्तुत करना, जिसमें इस प्रयोजन हेतु उद्यम में लगे हुए कर्मचारियों अथवा अन्य कार्मिकों के माध्यम से किसी उद्यम की परामर्शी सेवाएं शामिल हैं, परन्तु वहीं जहां उस स्वरूप के क्रियाकलाप किसी 12 महीने की अवधि के भीतर कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक की अवधि या अवधियों के लिए संविदाकारी राज्य के भीतर जारी रहते हों (उसी अथवा संबद्ध परियोजना हेतु)।"

3. अभिसमय के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (ग) के संदर्भ में, यह समझा जाता है कि जहां संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम जो कि अन्य संविदाकारी राज्य में सेवाएं निष्पादित कर रहा है, समय अवधि के दौरान, दूसरे उद्यम से संबद्ध जो कि उसी परियोजना या संबंधी परियोजनाओं के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में यथेष्ट रूप से सदृश सेवाएं निष्पादित करता है व एक या अधिक व्यष्टियों के द्वारा जोकि उस दूसरे संविदाकारी राज्य में हैं और सेवाएं निष्पादित कर रहे हैं, की स्थिति में प्रथम-वर्णित उद्यम को उस अवधि के दौरान इन व्यष्टियों के द्वारा समरूप परियोजना या संबंधी परियोजनाओं के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में निष्पादित सेवाएं समझा जाएगा। पूर्ववर्त्ती वाक्य के प्रयोजनार्थ कोई किसी उद्यम से दूसरे उद्यम के संयुक्त होगा यदि एक दूसरे द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होता है, या दोनों समरूप व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से नियंत्रित होता है, जो कि इसके बगैर है कि ये व्यक्ति चाहे किसी एक संविदाकारी राज्यों के निवासी हैं या नहीं हैं।

**अनुच्छेद V**

अभिसमय के अनुच्छेद 7(कारोबारी लाभ) के पैराग्राफ 6 के बाद, निम्नलिखित पैराग्राफ 7 जोड़ा जाएगा:

"7. जहां तक एक संविदाकारी राज्य में उद्यम के कुल लाभ को उसके विभिन्न भागों में प्रभाजन के आधार पर एक स्थायी संस्थापन को होने वाले लाभ का निर्धारण करने की प्रथा हो, वहां इस अनुच्छेद का पैराग्राफ 2 की कोई भी बात उस संविदाकारी राज्य में प्रचलित प्रभाजन पद्धति से कर योग्य लाभ का निर्धारण करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी; तथापि, प्रभाजन के लिए अपनाई गई विधि ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धांतों के अनुकूल होगा।"

**अनुच्छेद VI**

अभिसमय के अनुच्छेद 9 (संबद्ध उद्यम) में, विद्यमान पाठ को पैराग्राफ 1 के रूप में क्रमांकित किया जाएगा और ऐसा क्रमांकण करने के बाद, निम्नलिखित पैराग्राफ को जोड़ा जाएगा।

"2. जहां संविदाकारी राज्य में उस संविदाकारी राज्य के उद्यम में लाभ शामिल हैं और तदनुसार कर लगाए जाते हैं- लाभ- जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम को दूसरे संविदाकारी राज्य में कर प्रभारित किया गया है और शामिल लाभ ऐसे लाभ हैं जिन्हें प्रथम-वर्णित संविदाकारी राज्य के उद्यम में प्राप्त किया जाएगा अगर दो उद्यमों के बीच की

गई शर्तें वें रही थी जोकि स्वतंत्र उद्यमों के बीच बनी हुई हैं, तब वह दूसरा संविदाकारी राज्य उन लाभों पर इसमें प्रभारित कर की राशि का उपयुक्त समायोजन करेगा। इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।"

**अनुच्छेद VII**

अभिसमय के अनुच्छेद 11 (ब्याज) के पैराग्राफ 6 में, शब्दों "वह राज्य स्वयं, एक राजनैतिक उप-मंडल, एक स्थानीय प्राधिकारी या" को निकाल दिया जाएगा।

**अनुच्छेद VIII**

अभिसमय के अनुच्छेद 12 (रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस) के पैराग्राफ 5 के पहले वाक्य को निम्नलिखित वाक्य से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस को किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न माना जाएगा, यदि अदाकर्ता उस संविदाकारी राज्य का निवासी है।"

**अनुच्छेद IX**

अभिसमय के अनुच्छेद 21 के पैराग्राफ 1 (प्रोफेसर, शिक्षक और अनुसंधान वृत्ति ) में, शब्दों "उसके आगमन की तारीख से दो वर्ष" को उसके "प्रथम आगमन की तारीख से दो वर्ष" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

**अनुच्छेद X**

अभिसमय के अनुच्छेद 22 के पैराग्राफ 3(अन्य आय) को निम्नलिखित पैराग्राफ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

"3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की मदों, जिन पर इस अभिसमय के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में चर्चा नहीं की गई है और जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होते हैं, पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है।"

**अनुच्छेद XI**

अभिसमय के अनुच्छेद 27 को निम्नलिखित अनुच्छेद से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

**"अनुच्छेद 27**

सूचनाओं का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अभिसमय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए जैसे स्पष्टत: संगत (दस्तावेज सहित) या संविदाकारी राज्यों की ओर से अधिरोपित प्रत्येक प्रकार और विवरण के करों से संबंधी घरेलू कानूनों के प्रशासन या प्रवर्तन या इनके राजनैतिक उप मण्डल, केन्द्रीय या स्थानीय प्राधिकरण, जहां तक इसके तहत कराधान अभिसमय के प्रतिकूल नहीं है, ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे। सूचना का आदान-प्रदान इस अभिसमय के अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा सीमित नहीं है।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के तहत प्राप्त किसी सूचना को उसी तरह गुप्त के रूप में माना जाएगा जैसे कि उस संविदाकारी राज्य के घरेलू कानूनों के तहत सूचना प्राप्त होती है और इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1, या उपर्युक्त की चूक में संदर्भित करों के संबंध में अपीलों के निर्धारण के संबंध में मूल्यांकन या संग्रहण या प्रवर्तन या अभियोजन से संबद्ध (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय सहित) व्यक्तियों या प्राधिकारियों को ही प्रकट की जाएगी। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूर्वोक्त सूचनाओं में कुछ भी कहा गया हो, संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों राज्यों तथा ऐसे प्रयोग के लिए प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता राज्य के प्राधिकरणों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो।

3. किसी भी स्थिति में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;

(ख) ऐसी सूचनाओं (प्रलेखों सहित) की आपूर्ति करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;

(ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गोपनीया अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति (आर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल हो।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपने सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस दूसरे संविदाकारी राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्था, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।"

**अनुच्छेद XII**

अभिसमय के अनुच्छेद 28 को निम्नलिखित अनुच्छेद से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"अनुच्छेद 28

करों के संग्रहण में सहायता

1. संविदाकारी राज्य राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता देंगे। यह सहायता इस अभिसमय के अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं।

2. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द "राजस्व दावा" का तात्पर्य संविदाकारी राज्यों, अथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए सभी किस्म के करों और विवरण से है, जहां तक उनके अंतर्गत कराधान इस अभिसमय अथवा कोई अन्य साधन जिसके लिए संविदाकारी राज्य पक्ष हैं के साथ-साथ ऐसी राशि से संबंधित ब्याज, प्रशासनिक अर्थ-दंड और वसूली अथवा संरक्षण के संबंध में देय राशि है।

3. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है और उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा। उस राजस्व दावे को उस राज्य द्वारा अपने स्वयं के करों के प्रवर्तन और वसूली, मानो कि राजस्व दावा उस दूसरे संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा था, के लिए प्रयोज्य इसके कानूनों के उपबंधों के अनुसार उस दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा वसूल किया जाएगा।

4. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा वह दावा है जिसके संबंध में वह राज्य, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा। वह दूसरा संविदाकारी राज्य उस राजस्व दावे के संबंध में अपने कानूनों के उपबंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा, मानो कि राजस्व दावे उस दूसरे संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे हों, यहां तक कि जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, राजस्व दावा प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है।

5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 और 4 के उपबंधों के होते हुए भी, संविदाकारी राज्य द्वारा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 या 4 के उद्देश्यों के लिए स्वीकृत राजस्व दावे को उस संविदाकारी राज्य में ऐसे कारणों की प्रकृति द्वारा उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत राजस्व दावे को लागू समय-सीमाओं या प्रदत्त किसी प्राथमिकता के अध्यधीन नहीं होगा। इसके अलावा, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं होगी।

6. किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष नहीं लाया जाएगा। इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं है जिसका अर्थ दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय के समक्ष ऐसी कार्यवाही के लिए किसी अधिकार का सृजन करना अथवा प्रदान करना लगाया जाएगा।

7. जहां इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् किसी समय और दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा संबंधित राजस्व दावे को वसूल करने और प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में प्रेषित करने से पहले संबंधित राजस्व दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा:

क) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 के तहत अनुरोध के मामले में, प्रथम-वर्णित संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा, जोकि उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और किसी ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व में है जोकि उस समय, उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत इसके संग्रहण का निवारण नहीं कर सका या

ख) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 4 के तहत अनुरोध के मामले में, प्रथम वर्णित संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा जिसके संबंध में वह संविदाकारी राज्य अपने कानूनों के तहत, संरक्षण के उपाए करें ताकि संग्रहण सुनिश्चित हो सकें।

प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य को दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे संविदाकारी राज्य के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य अपने अनुरोध को या तो आस्थगित करेगा या फिर हटा लेगा।

8. किसी भी स्थिति में इस अनुच्छेद के किसी भी उपबंध का अर्थ दोनों में से किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा:

क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;

ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति (आर्डर पब्लिक) के विपरीत हों;

ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो;

घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस संविदाकारी राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा उद्भूत किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से अनुपातहीन हो।"

**अनुच्छेद XIII**

अभिसमय के अनुच्छेद 28 के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद को जोड़ा जाएगा।

"अनुच्छेद 28क
लाभों का परिसीमन

1. इस अभिसमय के प्रावधान किसी भी मामले में किसी संविदाकारी राज्य को घरेलू कानूनों के उपबंधों को लागू करने और कर परिहार या अपवंचन, चाहे इस तरह वर्णित हैं या नहीं, के विरूद्ध उपाय करने से निवारण नहीं करेंगे।

2. संविदाकारी राज्य का निवासी इस अभिसमय के लाभों का हकदार नहीं होगा यदि इसके कार्य ऐसे तरीके से प्रबंधित थे जैसे इस अभिसमय के लाभों को लेने के लिए इस प्रकार का कार्य मुख्य उद्देश्य था या इनमें से यह कोई एक मुख्य उद्देश्य था।

3. इस अभिसमय के तहत लाभ किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान नहीं किए जाएंगे जोकि अन्य संविदाकारी राज्य या इसमें स्थित पूंजी की मदों से प्राप्त आय की मदों का हितकारी स्वामी नहीं है।

**अनुच्छेद XIV**

9 दिसंबर, 1996 को हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल में, निम्नलिखित वाक्यों को निकाल दिया जाएगा।

"अनुच्छेद 10, 11 और 12 के संदर्भ में;

किसी अभिसमय के अन्तर्गत अनुच्छेद 10, 11 और 12 के संबंध में, भारत गणराज्य और तीसरे राज्य के साथ कज़ाक्स्तान गणराज्य, भारत या कज़ाक्स्तान की सरकारों के बीच तकनीकी सेवाओं के लिए लाभांश (एकल दर) ब्याज, रायल्टी या फीस पर अपना कराधान सीमित करते हैं जोकि आय की उक्त मदों पर इस अभिसमय में प्रदत्त दर या कार्यक्षेत्र से सीमित कमतर दर या अधिक स्कोप है, तब उस अभिसमय में प्रदत्त समरूप दर या स्कोप, आय की उक्त मदों पर करार या प्रोटोकॉल भी इस अभिसमय के तहत लागू होंगे।"

**अनुच्छेद XV**

1. यह प्रोटोकॉल राजनयिक चैनलों, लिखित अधिसूचनाओं के परवर्ती के माध्यम से पावती की तारीख से प्रवृत्त होगा व इसमें यह सूचित होगा कि इस प्रोटोकॉल को प्रवृत्त करने हेतु अपेक्षित आन्तरिक कार्यविधि को संविदाकारी राज्यों द्वारा पूरा कर लिया गया है।

2. इस प्रोटोकॉल के उपबंध कार्यान्वित होंगे:

(क) भारत में, किसी वित्तीय वर्ष की शुरूआत में प्राप्त आय या धारित पूंजी के संबंध में या उस तारीख का अनुसरण करते हुए जब यह प्रोटोकॉल प्रवृत्त होता है, आगामी अप्रैल के प्रथम दिन को अथवा इस के बाद; और

(ख) कज़ाक्स्तान में, किसी वित्तीय वर्ष की शुरूआत में प्राप्त आय या धारित पूंजी के संबंध में या कलेण्डर वर्ष का अनुसरण करते हुए जब यह प्रोटोकॉल प्रवृत्त होता है, आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अथवा इस के बाद।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी, जोकि विधिवत प्राधिकृत हैं ने इस प्रोतोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं जो इस अभिसमय अभिन्न अंग होगा।

नई दिल्ली में वर्ष 2017 के जनवरी माह के 6 तारीख को हिन्दी, कजाक, अंग्रेजी और रूसी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा ।

| | |
|---|---|
| भारत गणराज्य की | कज़ाक्स्तान गणराज्य की |
| सरकार की ओर से | सरकार की ओर से |
| (सुशील चंद्रा) | (बुलात सरसेनबायेव) |
| अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड | भारत में कज़ाक्स्तान गणराज्य के राजदूत |

[अधिसूचना सं. 20/2018/फा. सं. 501/06/94-एफटीडी-II]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव